



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



केमाशिबो/शैक्ष./उस (मस)/2022

दिनांक : 01.08.2022
परिपत्र संख्या: शैक्ष.-82/2022

केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुख

विषय: तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में।


प्रिय प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या,

तंबाकू का उपयोग विश्व भर में रोकी जा सकने वाली मौतों और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और इस नशे के आदी आधे प्रयोगकर्ताओं की बहुत ही कम आयु में असामयिक ही मृत्यु हो जाती है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे (जीवाईटीएस-4) 2019 की राष्ट्रीय तथ्य पत्रक से पता चलता है कि 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5% विद्यालय जाने वाले बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इन निष्कर्षों से यह भी संकेत मिलता है कि यद्यपि तम्बाकू का उपयोग करने वाले बच्चों के अनुपात में गिरावट आई है, तथापि, लड़कियों में तम्बाकू का उपयोग बढ़ रहा है।

बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन शुरू करने से बचाने के उद्देश्य से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे किसी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को या से तंबाकू उत्पादों की बिक्री निषेध और तंबाकू उत्पादों आदि के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के किसी भी प्रकार का निषेध। तंबाकू के उपयोग से जुड़ी हानियों के विषय में शीघ्र हस्तक्षेप और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशानिर्देश (टीओएफईआई)' जारी किये हैं। (अनुलग्नक 1)

समाज में एक स्वस्थ और तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने में शिक्षण संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपसे अनुरोध है कि अपने विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों के बीच 'तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशानिर्देश (टीओएफईआई)' के बारे में जागरूकता फैलाएं और भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें।

शुभकामनाओं सहित


डॉ. जोसफ इमानुवल
निदेशक (शैक्षणिक)





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



प्रतिलिपि नीचे दिए गए अनुसार निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को उनके अधिकार क्षेत्र के सभी विद्यालयों में सूचना प्रसारित करने के अनुरोध के साथ:

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा- 201309
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, ए-विंग, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली, 110001
4. सचिव, सैनिक विद्यालय सोसायटी, कमरा नं. 101, डी-1 विंग, सेना भवन, न्यू दिल्ली-110001।
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन (ओएवीएस), एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, पीओ सैनिक विद्यालय नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005।
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
7. सार्वजनिक निर्देश निदेशक (विद्यालय), संघ शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़- 160017
8. निदेशक (परीक्षा और विद्यार्थी वृत्ति), मानव संसाधन विकास विभाग, गंगटोक, सिक्किम सरकार, सिक्किम-737101
9. माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर - 791111।
10. निदेशक (शिक्षा), शिक्षा निदेशालय वीआईपी रोड, अंडमान और निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर - 744103
11. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई., केमाशिबो प्रकोष्ठ, वीआईपी रोड, जंगली घाट, पी.ओ. 744103, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
12. निदेशक, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, ईएसएसएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली।
13. सेना शिक्षा के अतिरिक्त महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001।
14. निदेशक एंड ब्लूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नंबर 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट-110010
15. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों को इस परिपत्र को किसी भी क्षेत्र में बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को भेजने के अनुरोध के साथ
16. सभी संयुक्त सचिव / उप सचिव / सहायक सचिव / वरिष्ठ निजी सचिव / विश्लेषक, केमाशिबो
17. सभी प्रमुख/ प्रभारी, उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो
18. इस परिपत्र को केमाशिबो की शैक्षणिक वेबसाइट पर डालने की मांग के साथ प्रभारी आईटी इकाई
19. प्रभारी, पुस्तकालय
20. प्रमुख (मीडिया और जनसंपर्क), केमाशिबो
21. अध्यक्ष, केमाशिबो के उप सचिव
22. सचिव, केमाशिबो के वरिष्ठ निजी सचिव
23. निदेशक (शैक्षणिक), केमाशिबो के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), केमाशिबो को वरिष्ठ निजी सचिव
25. परीक्षा नियंत्रक, केमाशिबो के प्रधान निजी सचिव
26. निदेशक (कौशल शिक्षा), केमाशिबो के वरिष्ठ निजी सचिव
27. निदेशक (व्यावसायिक परीक्षा), केमाशिबो के प्रधान निजी सचिव





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation Under the Ministry of Education, Govt. of India)



28. निदेशक (प्रशिक्षण), केमाशिबो के वरिष्ठ निजी सचिव
29. निदेशक (सीटीईटी), केमाशिबो के प्रधान निजी सचिव
30. निदेशक (एडुसैट), केमाशिबो के वरिष्ठ निजी सचिव
31. रिकॉर्ड फ़ाइल

निदेशक (शैक्षणिक)



'शिक्षा सदन', 17 राऊज़ एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली –110002
'Shiksha Sadan', 17, Rouse Avenue, Institutional Area, New Delhi – 110002

